संख्या-28/2018/754/60-2-18-2/3(3)/12

प्रेषक,

मासूम अली सरवर
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 मई, 2018

विषय – अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक पुष्टाहार-राज्य योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-28/बा0वि0परि0/लेखा/2018-19, दिनांक 17.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अधीन पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिए मानक मद-42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रूपये 98000.00 लाख (रूपये नौ अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष अनुपूरक पुष्टाहार पर सम्भावित व्यय के दृष्टिगत प्रथम त्रैमास हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 24500.00 लाख (रूपये दो अरब पैंतालिस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से निर्धारित प्रपत्र पर भारत सरकार/शासन को प्रस्तुत करते हुए अपेक्षित केन्द्रांश की प्राप्ति समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से एकमुश्त न करके प्रत्येक माह की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा।

(5) यह धनराशि प्राप्त परिव्यय की सीमा में ही समाहित होगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0सी0एस0पी0 की गाइड लाइन के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है इससे इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के.50/रा.50 के.+रा.) 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव

संख्या-28/2018/754(1)/60-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट)अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1।
7. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।